

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 05.10.2026

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 181 वाहनों से 245,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 05.10.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 181 वाहनों से 245,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 05.10.2026

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैरेस्टर एक्ट के मामले में 20,000 रु0 के इनामिया अभियुक्त को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अभयनाथ मिश्र के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 337/2023 धारा 3(1)/ 2(ख)(17) यूपी गैरेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 20,000 रु0 के इनामिया अभियुक्त कियामत पुत्र न्याज उर्फ नियाज अहमद निवासी कपरियाडीह थाना धोसी जनपद मऊ को आज दिनांक 05.10.2026 को नेतवापुर चौराहे के पास से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना में हदावल पर मु0अ0सं0 684/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- विदित हो कि दिनांक 16.08.2023 को अभियुक्त के अपराधिक इतिहास के दृष्टिगत थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 337/2023 धारा 3(1)/ 2(ख)(17) यूपी गैरेस्टर एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

कियामत पुत्र न्याज उर्फ नियाज अहमद निवासी कपरियाडीह थाना धोसी जनपद मऊ।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर
02. 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
03. 01 अदद मोबाइल
04. 210 रूपया नगद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त-

01. मु0अ0सं0 446/2021 धारा 3/5(A)/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
02. मु0अ0सं0 337/2023 धारा 2(b)(xv)/3(1) यूपी गैरेस्टर एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
03. मु0अ0सं0 841/2023 धारा 74-A भादवि0 थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री अजय कुमार सिंह, उ0नि0 मनोज कुमार, का0 महेन्द्र निषाद, का0 मुन्नेलाल गुप्ता।

प्रेस नोट

जनपद संतकबीरनगर

दिनांक 05.10.2026

साइबर क्रैक अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को थाना बखिरा पुलिस ने दिलाई रु12,804.91 की धनराशि वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में संचालित क्रैक साइबर क्राइम अभियान के अंतर्गत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से थाना बखिरा साइबर पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के शिकार एक पीड़िता के खाते में 12804.91/- रुपये की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण- अमित कुमार पुत्र सरवन कुमार निवासी ग्राम विहारे थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के मोबाइल को हैक कर दिनांक 04.04.2026 को अज्ञात साइबर अपराधी द्वारा धोखाधड़ीपूर्वक उनके खाते से धनराशि स्थानांतरित कर ली गई।

शिकायत प्राप्त होने के उपरांत थाना बखिरा पुलिस एवं साइबर टीम द्वारा प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित बैंकिंग एवं तकनीकी माध्यमों से आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की गई। टीम द्वारा निरंतर किए गए प्रभावी प्रयासों के परिणामस्वरूप पीड़ित के खाते में 12804.91/- की धनराशि सफलतापूर्वक वापस करा दी गई।

अपनी धनराशि वापस प्राप्त होने पर पीड़ित एवं उसके परिजनों द्वारा संतकबीरनगर पुलिस के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की सराहना की गई।

धनराशि वापस मिलने पर पीड़िता ने थाना बखिरा पुलिस की त्वरित एवं सराहनीय कार्यवाही के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भूरी-भूरी प्रशंसा की।

कार्यवाही करने वाली टीम :- थानाध्यक्ष बखिरा श्री दिलीप कुमार सिंह, प्रभारी साइबर सेल उ0नि0 श्री राजेश कुमार, आरक्षी चन्द्रभान सिंह, महिला आरक्षी सुमन कुमारी, महिला आरक्षी अवन्तिका।

जनता से अपील-

- किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक संबंधी जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड अथवा यूपीआई पिन साझा न करें।
- यदि कोई व्यक्ति रिश्तेदार या मित्र बनकर फोन पर धनराशि की मांग करे, तो उसकी पहचान वीडियो कॉल अथवा अन्य विश्वसनीय माध्यम से सुनिश्चित करने के बाद ही कोई भुगतान करें।
- साइबर अपराधी अक्सर आवाज बदलकर अथवा भावनात्मक दबाव बनाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं, इसलिए सदैव सतर्क रहें।
- किसी भी प्रकार की साइबर ठगी या संदिग्ध ऑनलाइन लेन-देन की स्थिति में तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

संतकबीरनगर पुलिस — साइबर अपराध के विरुद्ध सतर्क, सक्रिय एवं प्रतिबद्ध।

प्रेस नोट

जनपद संतकबीरनगर

दिनांक 05.10.2026

महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस द्वारा साप्ताहिक विशेष चेकिंग अभियान “मीट एण्ड ग्रीट” के तहत वाहनों की सघन चेकिंग

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संदीप कुमार मीना** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सुशील कुमार सिंह** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी यातायात श्री अमित कुमार के पर्यवेक्षण में यातायात प्रभारी खलीलबाद श्री परमहंस द्वारा साप्ताहिक विशेष चेकिंग अभियान “मीट एण्ड ग्रीट” (Meet & Greet) चलाकर वाहनों की सघन चेकिंग की गई।

अभियान के दौरान विशेष रूप से नशे की हालत में वाहन चलाने, मॉडिफाईड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) का न होना, फटी/दोषपूर्ण नम्बर प्लेट तथा नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने वाले वाहनों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की गई।

चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, नशे की हालत में वाहन न चलाने तथा अपने वाहन के आवश्यक दस्तावेज एवं नम्बर प्लेट निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने हेतु जागरूक किया गया।

अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं आमजन की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के साथ-साथ यातायात नियमों के प्रति वाहन चालकों में जागरूकता बढ़ाना तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम करना है। साथ ही टीम द्वारा वाहन चालकों से संवाद कर यात्रा के दौरान उनकी समस्याओं एवं सुझावों की जानकारी भी ली गई।

यातायात पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई कि स्वयं यातायात नियमों का पालन करें तथा अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें।

प्रेस-नोट

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक-05.10.2026

यातायात पुलिस द्वारा मेंहदावल बाईपास से हटवाया गया अतिक्रमण, यातायात व्यवस्था को सुगम एवं व्यवस्थित बनाने की कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात श्री अमित कुमार के पर्यवेक्षण में यातायात प्रभारी खलीलाबाद श्री परमहंस द्वारा जनपद में सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 05.10.2026 को यातायात पुलिस टीम मेंहदावल बाईपास पर सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया। अतिक्रमण के कारण आवागमन में उत्पन्न हो रही बाधा को दूर करते हुए सड़क मार्ग को सुचारु एवं व्यवस्थित कराया गया। यातायात पुलिस द्वारा अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों/व्यक्तियों को सड़क एवं सार्वजनिक मार्ग पर अनावश्यक रूप से सामान न लगाने तथा यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही आमजन से अपील की गई कि सड़क एवं फुटपाथ पर अतिक्रमण न करें तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु निरंतर कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट

जनपद संतकबीरनगर

दिनांक 05.10.2026

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामलों में 02 अभियुक्तों को 02 वर्ष का कारावास व कुल 6000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संदीप कुमार मीना** के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 05.10.2026 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश SC/ST Act जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तों को 02 वर्ष का कारावास व 6000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरण:-

वादिनी मुकदमा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर दिनांक 15.02.2015 को तहरीर दिया गया कि अभियुक्तगण 01. हरिभक्त दूबे पुत्र धनश्याम दूबे 02. धनश्याम दूबे पुत्र चिनगी निवासीगण नौगो थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मारपीट, गाली गलौज व धमकी देने के संबंध तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। क्षेत्राधिकारी श्री आर0के0 शर्मा द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरण:-

मु0अ0सं0 312/2015 धारा 323/504/506 व धारा 3(1)(x) sc/st Act भा0द0वि0 थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित उपरोक्त अभियुक्तगण को धारा 323, 34 भा0द0वि0 के अपराध में प्रत्येक को 01-01 वर्ष के कारावास व 1000-1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 15-15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

धारा 504 भा0द0वि0 में प्रत्येक को 01-01 वर्ष के कारावास तथा 1000-1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 15-15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। धारा 506 भा0द0वि0 में प्रत्येक को 02-02 वर्ष के कारावास तथा 1000-1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 15-15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।